33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत कलेक्टर रवैराटी .... मुकाम बांदीकुई .... बनाम रुक्मनी बाई

नाम मुकदमा प्रार्थना अन्तर्गत धारा-251'A' नं० 177/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के संलग्न रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 'A' R.T. Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 26/11/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 177 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक 24.08.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक: 26.11.2024

उनवान

1. खैराती
2. कल्लूराम
3. बाबूलाल
4. हजारी
5. द्वारका

पुत्रान मुरली जाति मीना
निवासी भॉवता तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई

बनाम

1. शांति देवी पत्नि कालूराम जाति मीना निवासी भांवता तह. बॉदीकुई
2. प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया
3. राजस्थान सरकार लैंड होल्डर जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बॉदीकुई

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 149 खाता सं. 145 आराजी खसरा नं. 136, 137, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311 वाके ग्राम भॉवता में स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 08 की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 21 पुराना 22 वाके ग्राम भॉवता में स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 08 की भूमि आराजी खसरा नं. 115, 116, 117 में होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते रहे हैं। उक्त रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से मार्क एबीसीडी से दर्शाया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही सुलभ एवं छोटा रास्ता है। उक्त रास्ते को ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जान के लिए रास्ता घोषित किया जाकर कानूनन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 08 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 115, 116, 117 में होकर जिसे संलग्न नक्शे में मार्का एबीसीडी से दर्शित किया हुआ है, को 15 फीट चौडाई में रास्ता घोषित किया जावे तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ते में किया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि की एवज में जो उचित मुआवजा तय किया जायेगा प्रार्थीगण उसे अदा करने के लिए तत्पर है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 एवं 151 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 एवं 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर श्रीमती शांति देवी पत्नि कालूराम जाति मीना को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 08 का नाम हजफ किया गया गया। अप्रार्थीया सं. 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीया के खेत खसरा नं. 115, 116, 117 में किसी प्रकार की कोई छेड छाड नहीं करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बावजूद तामील जर्ये रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 02 व 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा. दी. पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पूर्व में दो बार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। अतः प्रकरण को बहस में नियत किया जावे। प्रार्थी प्रार्थना पत्र 151 जा. दी. स्वीकार किया जाकर प्रकरण को बहस में नियत किया गया। प्रकरण में बार:बार आवाज देने पर अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भॉवता दिनांकः 21.05.2018 एवं पटवारी हल्का भॉवता व भू. अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट दिनांकः 10.11.2022 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट में वादी द्वारा चाहा गया नक्शे में प्रदर्शित स्थान पर रास्ता निकालने में किसी प्रकार कोई व्यवधान एवं निर्माण नहीं है। वादी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने को अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नंबरों 115, 116 एवं 117 में वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। राजस्व जमाबंदी ग्राम भॉवता संवत 2072–76 खाता संख्या नया 149 पुराना 145 कुल किता 8 कुल रकबा 4.20 हैक्टे. स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का बतौर खातेदार काश्तकार अंकन दर्ज है। राजस्व जमाबंदी खाता सं. नया 21 पुराना 22 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त रास्ते बाबत अप्रार्थीगण जिनकी खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण वकील ने बहस में खसरा नं. 115, 116, 117 में होकर जिसे संलग्न नक्शे में मार्का एबीसीडी से दर्शित किया हुआ है, को 15 फीट चौडाई में रास्ता घोषित किया जाने तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ते में किया जाने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा RTACT की संशोधित धारा 251 "ए" खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तथा रिपोर्ट दिनांकः 21.05.2018 एवं 10.11.2022 प्रदर्शित स्थान पर रास्ता निकालने में किसी प्रकार कोई व्यवधान एवं निर्माण नहीं होने एवं अन्य कोई रास्ता नही होने के लिये प्रस्तावित होने एवं आपत्तिकर्ताओं को कोई क्षति नहीं होने के मध्यनजर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भॉवता दिनांकः 21.05.2018 एवं पटवारी हल्का भॉवता व भू. अ. निरीक्षक गुढलिया रिपोर्ट दिनांकः 10.11.2022 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र 251 "ए" राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 149 पुराना 145 आराजी खसरा नं. 136, 137, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311 वाके ग्राम भॉवता तह. बॉदीकुई में आने जाने के लिये अप्रार्थीया की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि खसरा नं. 115 रकबा 0.23 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., खसरा नं. 116 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. एवं खसरा नं. 117 रकबा 0.42 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट. भूमि अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी. एल.सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भॉवता दिनांक: 21.05.2018 के संलग्न नक्शा जिसमें लाल स्याही से उक्त अवाप्त रास्ते के लिए भूमि प्रस्तावित की है को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

26/11/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner